

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2020/ 3015
दिनांक: 16-01-21

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री रगजी यादव महाविद्यालय
रामपुर माझा, मटखन्ना, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-10.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 20.09.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यत्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद नाम
1	डॉ० दयाशंकर सिंह आधार न०-814455964577	स्व० मुखलाल सिंह	20.01.1973	एम०ए०, पी-एच०डी०	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ़ीडबैक प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक पू.वि.वि / सम्बन्धित / 2022 / 11592
दिनांक 20.11.22

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री रंगजी यादव महाविद्यालय,
रामपुर माझा मटखन्ना, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत रनातक स्तर पर कला संकाय के विषय में प्रवक्ता पद पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संसृति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1	श्री श्याम सुन्दर भारती आधार नं०-259356323750	श्री बलिराम	30.07.1989	एम0ए0, नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पारापोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्या है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए अशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव
20/11/22

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2019/ 7726
दिनांक : 30-9-19

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री रगजी यादव महाविद्यालय
रामपुर, मौंजा, मटखन्ना, गाजीपुर।

विषय:- स्वयित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास विषय में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-10.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारापरान्त कुलपाठे द्वारा शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 20 नवम्बर 2013 के जालोक ने स्वयित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित पत्र एवं चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एवं पत्र के मध्य पदान्तर किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	डॉ० संजय सिंह आधार नं०-751933272982	श्री फेकू सिंह	20.03.1981	एम0ए, पी-एच0डी0	प्राचीन इतिहास

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के सहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

30/09/19
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि / सम्बद्धता / 03-(तीन) / 2019 / 8100
दिनांक: 06-11-19

संवा. नं.

प्रबन्धक

श्री राजा यादव महाविद्यालय
रामपुर, साजा, मटखाना, गाजीपुर।

विषय— स्वयत्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त निदेशक अपने पत्र दिनांक-04.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यारोपसन्त कुलपति जी द्वारा शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्वयत्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 अथवा 5 वर्ष की सविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नालेखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियुक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय ज़िम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	श्री प्रशान्त राव दिगंबर आधार नं०-559229307778	श्री फिरतू राम	20.06.1981	एम0ए0, नेट	भूगोल
2	डॉ० त्रिषिकेश पाण्डेय आधार नं०-952702999012	श्री राम अकबाल पाण्डेय	01.05.1987	एम0ए0, पी-एच0डी0	अर्थशास्त्र
3	श्री सतोष कुमार यादव आधार नं०-249415139286	श्री चन्द्रदेव यादव	01.03.1988	एम0ए0, नेट	शिक्षाशास्त्र
4	श्री अभिषेक कुमार सरोज आधार नं०-274260307027	श्री नन्दलाल सरोज	01.03.1993	एम0ए0, नेट	संस्कृतशास्त्र
5	डॉ० सीमा पाठक आधार नं०-465407100691	श्री आर0पी0 पाठक	10.10.1979	एम0ए0, पी-एच0डी0	पृथ्वीविज्ञान
6	श्री महेश सिंह यादव आधार नं०-771762812175	श्री पतिराम सिंह यादव	07.07.1991	एम0ए0, नेट	हिन्दी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर नियुक्ति पत्र की प्रति एवं स्वयत्तपोषित प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय

कुलसचिव